रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰- REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधारण

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

la- 348] ubZ fnYyh] cq/okj] flrEcj 14] 2016@Hkkæ 23] 1938

No. 348] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn~

अधिसूचना

ubZ fnYyh] 8 flrEcj] 2016

vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn~

¿पाठ्यक्रमों की नामावली एवं तकनीकी संस्थाओं मे विद्यार्थियों का प्रवेश}

विनियम, 2016

,Q-la- ih ,oa ,ih@,e,,e@2016.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(झ), (ट) एवं (ण) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् एतद्द्वारा पाठ्यक्रमों की नामावली उपलब्ध करवाने तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों मंे विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु दिशानिर्देश हेतु vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn~ fuEufyf[kr fofu;e cukrh gS] uker~ %&

1-0 संक्ष्िाप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ:

1-1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद {पाठ्यक्रमों की नामावली एवं विद्यार्थियों का प्रवेश} विनियम, 2016 कहा जाएगा।

1-2 ये विनियम तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों कि समय-समय पर परिषद् ्द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं, पर लागू हांेगे।

1-3 ;s fofu;e jkti= esa buds çdk'ku dh rkjh[k ls ço`Ùk gksaxsA

2- i`"BHkwfe %

2-1 अभातशिप के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रबंधन के पाँच वर्षीय दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को दी गई नामावली बीएम/बीएएम/एमएएम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नामावली तथा मानदण्डों की पुष्िट नहीं करती है। अत: परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के पश्चात् विविध बिन्दुओं पर निर्गम के साथ 5 वर्षीय दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम जैसे कि- बीएम/बीएएम/एमएएम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा शैक्षण्िाक वर्ष 2016-17 से बीएम/बीएएम/एमएएम नामावली के रूप विद्यमान पाठ्यक्रमों को बीएम/बीएएम/एमएएम के नाम से नए अनुमोदन प्रदान नहीं किए

जाएंगे एवं अनुमोदन में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

2-2 क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के पश्चात् विभिन्न निर्गम बिन्दुओं के साथ
nh tk,xhA

2-3 परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किए गए कार्यक्रमों बीएम/बीएएम/एमएएम दोहरी डिग्री कार्यक्रमों में 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में पहले से प्रवेश प्राप्त विद्यमान विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु में परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किए गए इन कार्यक्रमों के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी ;

2-3-1 विद्यार्थी, जिन्होंने बीएम/बीएएम/एमएएम दोहरी डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है तथा तीन वर्ष [illegible] आयोग की अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त डिग्रियों की सूची में अनुसूचित की गई है।

2-3-2 ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने चार वर्ष पूरे किए हैं, उन्हें बीएएम की डिग्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष की अवधि के साथ ऐसी डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमोदित सूची में नहीं है। इसके स्थान पर 5 वर्ष के पश्चात् एकीकृत एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्हें एक ओर वर्ष पूरा करने के लिए कहा जाएगा।

2-3-3 सभी सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय तथा संस्थाएं अपने नियमों और विनियमों में उपरोक्त परिवर्तनों को अपनाएंगे।

3- fuoZpu %

यदि इस विनियम के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा लिया जाएगा। परिषद् को उन शंकाओं पर स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार है जो इन विनियमों को लागू करने में mBrh gSaA

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल,
सदस्य-सचिव

[foKkiu&III/4/असा./240 (162)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2016

All India Council for Technical Education (Nomenclature of courses and admission to Technical institution) Regulation, 2016.

F. No. P&AP/MAM/2016.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 23 read with section 10(i) (k) and (o) of the All India council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the Council hereby makes the following regulations for providing nomenclature of courses and guidelines for admission of students to professional colleges, namely:-

1. Short Title, Application and Commencement:

1.1 These Regulations may be called the All India Council for Technical Education nomenclature of Courses and admission of students to Technical (Institutions) Regulations, 2016.

1.2 They shall apply to technical institutions conducting technical education and such other programs and areas as notified by the Council from time to time.

2. Back ground:

2.1 It has been brought to the notice of AICTE that since the 5 years Dual Degree program in Management with nomenclature of BM/BAM/MAM introduced by AICTE does not confirm to the nomenclature and criteria prescribed by University Grants Commission, the Council has decided that the 5 year dual degree courses i.e. BM/BAM/MAM with multi point exit

after 3 years, 4 years and 5 years respectively be discontinued with immediate effect and no new approval be granted and no extension of approval for the existing courses with the nomenclatures of BM/BAM/MAM be issued from the Academic Year 2016-17 onwards.

2.2 The BM/BAM/MAM course with multi point exit after 3 years, 4 years and 5 years respectively be phased out and no fresh admissions should be permitted from the academic year 2016-17.

2.3 To safeguard the interests of the existing students already admitted to the BM/BAM/MAM dual degree programs approved by the Council in 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, the following procedure be followed;

2.3.1 The students, who have been admitted to BM/BAM/MAM dual degree course and completed three years should be given degree of BBA instead of BM, since BBA is listed as ं तमबवहदप्रमक कमहतमम ंे चमत न्ळब् छवजपपिबंजपवदण्

2.3.2 The Students, who have completed four years should not be given degree of BAM, since no such degree with 4 years of duration is available in the approved list of UGC. Instead, such students should be asked to complete one more year to get MBA integrated degree after completion of 5 years.

2.3.3 All affiliating Universities and Institutions shall adopt above changes in their rules and regulations and implement the same.

3. Interpretation

If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Council. The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these Regulations.

Prof. ALOK PRAKASH MITTAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./240(162)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.16 13:01:19 +05'30'